तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व ता... जो इस... तामील...
	सीताराम वगैरह / दड़कली वगैरह CCMS- 2022/62	

29/09/25

वकील वादी उप0। वकील वादीगण ने प्रा0 पत्र सं0 0.1 R.10 CPC पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है जो अभिलेख पर लिया जाता है। वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 07/10/2025 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

07/10/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अव[लोकन] किया गया। चूंकि वकील वादीगण [...] पक्षकारान ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त [...] प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:4
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.10.28 12:35:40 IST Reason: SelfAttested	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. सीताराम पुत्र सुरजाराम जाति कुमावत निवासी दुल्हेपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. वगैरह

–वादीगण

बनाम

1. दड़कली पत्नी मूलाराम वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 370 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री बलबीर सिंह जाखड़ एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**
.निज......................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 07 माह 10 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:40 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।